हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 मार्च, 1996

खंड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 1 मार्च, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न/ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं	(6) 13
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-- उप मंडल चरखी दादरी इत्यादि में ओला-वृष्टि से खड़ी फसलों के नुकसान संबंधी	(6) 14
वक्तव्य-	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(6) 14
हवाला कांड से संबंधित मामला उठाना	(6) 15
वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(6) 16
हवाला कांड से संबंधित मामला उठाना (पुनरारम्भ)	(6) 16
वाक-आउट	(6) 18

मूल्य :

	पृष्ठ संख्या
नियम 104 का निलंबन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलंबन	(6) 19
सदन में व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवलोकन	(6) 23
सदस्यों के निलंबन को रद्द करने के लिए अपील	(6) 24
वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(6) 26
वाक-आउट	(6) 34
मानव अंगों को निकालने, उनके भण्डारण तथा प्रतिरोपण संबंधी सरकारी संकल्प	(6) 34
बिल्ज–	
(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं0–1) बिल, 1996	(6) 37
(ii) दि हरियाणा एण्ड पंजाब ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996	(6) 39
(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1996	(6) 41
(iv) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1996	(6) 43
(v) दि हरियाणा मैकेनिकल व्हीकल्ज (लैवी ऑफ टोल्ज) बिल, 1996	(6) 44
(vi) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 1996	(6) 46

ERRATA

to

Haryana Vidhan Sabha debates Vol. 1, No. 6, dated the 1st March, 1996.

Read	For	Page	Line
मुलाना	मलाना	9	19
शुरु	शरु	9	25
affected	effected	14	22
ओलावृष्ट	ओलाबूष्टि	16	12
ही	हो	17	7
Rules of	Rules	20	4
ब्रूट	बूट	25	6
को	की	27	23
मोची	मौची	28	21
में	मैं	30	27
फल्ड	फलैड	33	9
डीवैल्यूएशन	डीव्लूऐशन	33	13
बर्बाद	बार्बद	33	30
उपस्थित	उपस्थिति	34	13
Legislature	Legislta ure	35	18
human	huamn	35	31
resolves	resolved	36	8
Mechanical	Mechanical	44	25

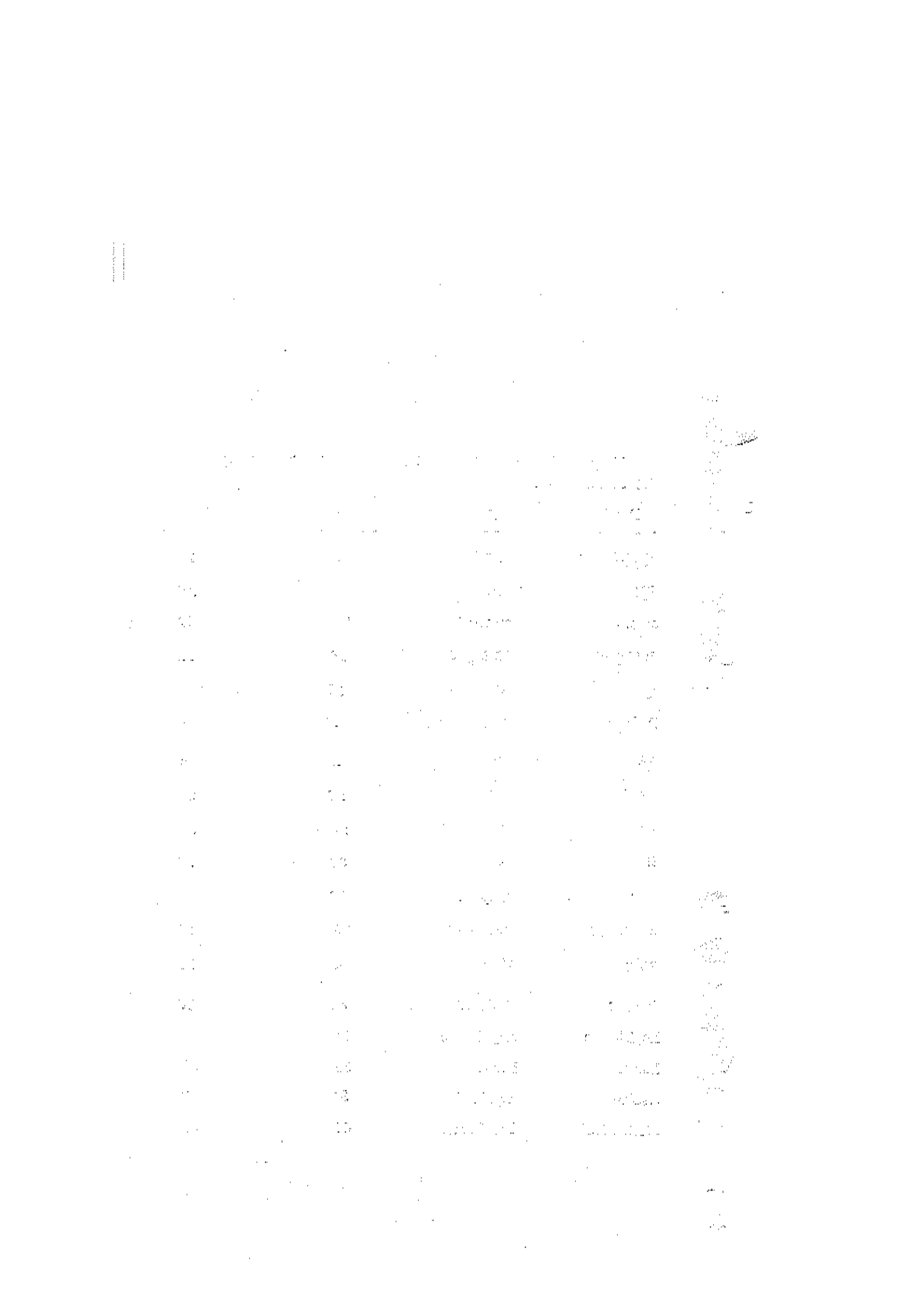

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार 1 मार्च, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9-30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Providing of Electricity Connections on Priority Basis for Drip Irrigation

*1250. **Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Power be pleased to state whether electricity connections for tubewells are being given on priority basis by the Haryana State Electricity Board to those farmers who have installed Drip Irrigation ; if so, the rate of tariff being charged from them ?

बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : हां श्रीमान् जी, बागबानी तथा फलों के बाग के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ट्यूबवैल कनैक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी किये जाते हैं तथा इन उपभोक्ताओं से औद्योगिक टैरिफ वसूल किया जाता है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है यह ज्यादातर इजराइल में ऐडोप्ट किया जाता है जहां पर रेगिस्तानी इलाका है। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में भी पानी की कमी है, नहरी पानी भी कम है। इसी बात को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक डैलीगेशन इजराइल गया था इस बात का पता लगाने के लिए कि किस किस्म का सिस्टम है। यह इरीगेशन सिस्टम ऐडोप्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है इससे पानी की भी बचत होगी। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जहां ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का फायदा किसानों को मिलेगा वहां टैरिफ बहुत ऊंचा कर दिया गया है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बगीचों में जिस रेट के हिसाब से बिजली दी जाती है तो क्या किसानों को उसी हिसाब से बिजली देंगे ? क्या सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि एग्रीकल्चर टैरिफ न लेकर जो ट्यूबवैल के लिए टैरिफ लिया जाता है क्या वह यूनिट उस हिसाब के टैरिफ लेने के लिए तैयार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मौजूदा सरकार किसानों के हितों के प्रति जाग-रूक भी है और चिंतित भी है इसीलिए दिनांक 17-8-95 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें उस दिन फैसला लिया गया कि एच0 एस0 ई0 बी0 को पैसा डायरेक्ट मिले और किसानों की सहायता के लिए स्टेट गवर्नमैंट एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को पैसा दे और जो भी ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ऐडोप्ट करना चाहे, कनैक्शन रिलीज करा ले उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट सबसिडी देगा । यह फैसला लिया गया है कि सबसिडी दी जाएगी ।

Sewerage System of Bhiwani

*1258. **Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether it is a fact that Sewerage System of Bhiwani has damaged; if so, the time by which it is likely to be restored/repaired ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : जी हां, भिवानी शहर का सीवरेज सिस्टम भूमिगत जल स्तर (सबसिंग लैवल) बढ़ने के कारण शहर में कई जगहों पर अति ग्रस्त हो गया है । इसको ठीक करने/मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और धन राशि की उपलब्धता के अनुसार, इसके 31-3-97 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या मुख्यमंत्री जी इस जरूरी कार्य के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराएंगे क्योंकि यह सीवरेज का काम है और इससे शहर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ा रही है क्या इसके लिए फंड टौप प्राइयोरिटी पर उपलब्ध कराए जाएंगे ? दूसरे, कई इलाकों में जैसे चिरंजीव कालोनी, बी0 टी0 एम0 और बस स्टैंड के पीछे का जो एरिया है वहां सीवर लाइनें पड़ी हुई हैं और उनको मेन लाइन से नहीं जोड़ा जा रहा है । सरकार का जो फंड सीवर लाइन डालने में लगा हुआ है उसकी भी पूर्ति-लिटी नहीं हो रही है जब तक इसको नहीं जोड़ा जाता, क्या इसके बारे में कुछ करेंगे ? इसके अलावा सीवरेज का रख-रखाव ठीक नहीं हो रहा है कई जगह मेन होल खुले पड़े हुए हैं जिसके अंदर पौलीथीन बैग इत्यादि सफाई कर्मचारी डाल देते हैं यह भी एक कारण है जिससे सीवर लाइन रूक जाती है । क्या सीवरेज सिस्टम ठीक करने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान कराएंगे ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : पहले तो पैसे की बात की है तो इस बारे में मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह रखा है कि भयंकर बाढ़ में या किसी और वजह से जहां कहीं क्षति हुई है उसको तुरन्त पूरा किया जायेगा । इसमें पैसे की कोई बात आड़े नहीं आयेगी । दूसरी बात आपने बताई है कि कोठी कालोनी

को बड़ी लाइनों में जोड़ने का सरकार प्रयास करे तो मेरा आपको आश्वासन है कि जहां-जहां से आप या भिवानी शहर के लोग छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में सिवरेज के साथ जुड़वाने को कहेंगे उसको तुरन्त जुड़वाने का हम प्रयास करेंगे । एक और बात आपने पौलीथीन वाली कही है । पौलीथीन वाली बीमारी आज आम हो गई है और कई दिन पहले सदन में भी इस बात पर विचारविमर्श हुआ था कि इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए । पौलीथीन बैग को हटाने के लिए मुख्यमन्त्री जी को शायद सैन्टर से इस बारे बात करनी पड़ेगी और उसके बाद अवश्य कोई न कोई हल निकालेंगे ताकि पौलीथीन की वजह से सिवरेज बन्द न हों ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने बताया कि भिवानी शहर में बाढ़ के पानी से सिवरेज खराब हो गये हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि सिवरेज बाढ़ की वजह से ही सिर्फ खराब नहीं हुए हैं बल्कि उनकी ठीक से सफाई भी नहीं होती जिसके कारण उसमें गैस बन जाती है जिससे सफाई कर्मचारियों को वहां सफाई करने में बड़ी कठिनाई होती है । हांसी में पिछले दिनों सिवरेज की सफाई करते समय एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी थी । मैं चाहूंगा कि सिवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए किसी मशीन का प्रावधान हर शहर में करें ताकि इनकी सफाई समय-समय पर उचित रूप से होती रहे और गैस न बने तथा सिवरेज खराब न हो । दूसरी बात यह है कि इन शहरों में सिवरेज की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध किया जाये और हांसी शहर की कई कालोनियों में जहां पर सिवरेज की व्यवस्था नहीं हुई है वहां पर तुरन्त करवाने की कृपा करें ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर सर, आदरणीय भाई ने जो मशीनों की सिवरेज की सफाई के लिए इस्तेमाल करने का सवाल किया है उसके लिए मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे पास काफी क्लीनिंग मशीनें उपलब्ध हैं जो या तो नगर-निगम के पास हैं या फिर हमारे विभाग के पास उपलब्ध हैं । यदि हांसी शहर में कोई दिक्कत हुई है तो कृपा आप बताने का कष्ट करें । इसके अतिरिक्त जो गैस वाली बात कही है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जब तक सिवरेज की सफाई होती रहेगी तो गैस वाली नौबत नहीं आयेगी । इस बारे में सरकार का पूरा ध्यान है । यह ठीक बात है कि सीवरेज के मेन होल हैं वे नंगे रहते हैं और कई पशु बच्चे और युवा कोई भी उसमें गिर जाते हैं । इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इसके लिए विशेष आदेश दे दिए हैं कि मेन होल खुले न रहें इन पर ढक्कन लगाये जायें और इस बात का प्रबन्ध तुरन्त कर दिया जाये ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (चौधरी धर्मवीर गाबा) : स्पीकर सर, एक और सवाल इन्होंने किया है कि गैस पैदा हो जाती है वह न हो तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जिन कर्मचारियों को मेन होल की सफाई के लिए भेजते हैं उनको

[चौधरी धर्मवीर गाबा]

कहते हैं कि मेन होल के अन्दर जलता हुआ लैम्प लेकर जाओ और हम कर्मचारियों को अगर लैम्प के जाने ही नहीं देते और वे यहां आकर यह कहें कि गलत हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई तो यह उन्हीं की वजह से होता है जो इन निर्देशों को नहीं मानते और उन पर अमल नहीं करते यह उन्हीं की गलती है । दूसरी बात यह जो इन्होंने कही है कि सीवरेज बन्द हो जाती है तो हमारा मेन मकसद ही म्यूनिसिपल कमेटी से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को ट्रांसफर करने का यही था कि हमारे पास टैक्नीकल आदमी नहीं थे और वहां की लाइनें ठीक नहीं रहती थी । इसलिए यह हमने ट्रान्सफर किया था ताकि आइन्दा लाइनें सही रास्ते पर चलें ।

श्री लहरी सिंह : जैसा अभी भिवानी शहर के सीवरेज सिस्टम के बारे में बतलाया था इसी तरह से यमुनानगर में जो सीवरेज सिस्टम है वहां कई फैक्टरियों का गन्दा पानी जब उनमें भर जाता है तो वह पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाता है । क्या हर शहर में ऐसे पम्प उठाये गये हैं और क्या इसके लिए एडीशनल बजट रखा गया है कि इससे छुटकारा पाया जा सके ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय श्री लहरी सिंह जी को बताना चाहती हूं कि जहां-जहां बाढ़ से सीवरेज को क्षति हुई है वहां हर जगह ऐसे प्रबन्ध किये जा रहे हैं और अतिरिक्त पैसे का प्रबन्ध कर दिया गया है । बीस करोड़ रुपया शहरों के लिए और दस करोड़ रुपया देहातों के लिए रखा है जहां भी हम समझेंगे कि बाढ़ की वजह से क्षति हुई है वहां सारा ही प्रबन्ध कर दिया जायेगा ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने भिवानी के लिए 161.50 लाख रुपए का अनुमान स्वीकृत किया है और वहां काम एक फरवरी, 1996 से शुरू हो गया लेकिन आदरणीय मंत्री महोदया ने बताया है यह काम 31-3-97 तक जाकर खत्म होगा । भिवानी की बहुत बुरी हालत है । इसलिए इस काम को जल्दी ही खत्म करवाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : अपना प्रश्न पूछिए ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : 31-3-97 तक बहुत लंबा समय है इसलिए इस काम में थोड़ी सी गति देकर इसे आने वाले वित्तीय वर्ष में जल्दी ही खत्म करवाने का कष्ट करेंगी ? मेरा दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह है कि भिवानी के मुहल्लों में जहां आज भी सीवरेज सिस्टम खराब है उनको देखिए । भिवानी की सबसे बड़ी कालोनी विकास नगर है आज भी उसमें सीवर उफन रहा है । उसकी सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है । इसी तरह से कई और कालोनियां हैं जैसे बी० डी० ए० मुहल्ला, हाई

स्कूल, मुख्य विकास नगर इत्यादि हैं जिनकी बुरी हालत है । मैं आदरणीय बहन जी से जानना चाहता हूं कि वे बताएं कि अपने महकमें से बुरी हालत को सुधारने या दूर करवाने के लिए क्या कदम उठायेंगी और एक बात फिर कहता हूं कि 161 लाख रुपया जो रखा है इससे काम करने की समय सीमा लम्बी है । इसको थोड़ी गति दें क्योंकि भिवानी के सीवरेज की व्यवस्था बहुत ही खराब है ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूं कि एक दो कालोनियां ही नहीं जैसे कि इन्होंने जिक्र किया । 17 जगह से भिवानी का सीवर डैमेज हुआ है और 3 जगहों की मरम्मत कर दी गई है 4 की अंडर कंस्ट्रक्शन है । मैं समझती हूं कि जो भी क्षति हुई है, हम ज्यादा लम्बे अर्से तक न जाकर के जून तक युद्ध स्तर पर इसे पूरा कर देंगे । यह मेरा वायदा है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूं कि सीवर खराब होने के मुख्य कारण क्या हैं ? वह है कि नगरपालिका और जन स्वास्थ्य विभागों की आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है क्योंकि नालियों का प्रबंध नगरपालिका के पास है और गंदे पानी का प्रबंध जन स्वास्थ्य विभाग के पास है । अगर इन दोनों विभागों में आपस में कोआर्डिनेशन हो तो काफी सुधार आ सकता है ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : वास्तव में यह विभागों की हमारे सामने भारी समस्या है क्योंकि नालियों का प्रबंध तो नगरपालिका के पास है और गंदे पानी का प्रबंध जन स्वास्थ्य विभाग के पास है । इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि या तो यह नगरपालिका के पास ही रहे या जन स्वास्थ्य विभाग के पास आ जाए और मैं संबंधित मंत्री जी से किसी वक्त विचार विमर्श करूंगी । हम कोई निर्णय अवश्य करेंगे जिससे इस समस्या का समाधान निकट भविष्य में हो सके ।

श्री पीर चन्द : अध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने जो यह फरमाया था कि 5 हजार तक की आबादी तक सीवर बनाएंगे । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रतिया की आबादी तो 25-30 हजार की है क्या वहां पर सीवर के प्रबंध पर विचार करेंगी ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, 408 गांव ऐसे हैं जो पांच हजार की आबादी से ऊपर हैं । यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है । हम शीघ्र ही ऐसा निर्णय करेंगे ताकि देहात में भी यह सिस्टम जल्द लागू कर सकें ।

श्री पीर चन्द : स्पीकर साहब, मैंने रतिया के बारे में पूछा था, मन्त्री महोदया ने उसके बारे में नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष : वह इनके जवाब में कवर हो गया है । इन्होंने कहा है कि पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले 408 गांव हैं । उसमें रतिया भी कवर हो जाता है ।

श्रीमती चन्द्रावती : मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहती हूं कि जिन शहरों में आपका यह सिस्टम डिफैक्टिव है तथा कुछ शहरों और कस्बों में किसी कालोनी में यह सिस्टम है और किसी में नहीं है । जिन कालोनियों में विशेष कर गांवों के लोग बस गए हैं उनमें इस सिस्टम को आप पूरा करने की कब तक कोशिश करेंगे । क्या उसके लिए कोई प्लान बनाया है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं इस बारे में बता रही थी उस समय बहिन चन्द्रावती जी यहां थीं नहीं । मैं इनको फिर बताना चाहती हूं कि जहां जहां की कालोनीज चाहेंगी उन्हें सीवर से जोड़ दिया जाएगा और शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा ।

श्रीमती चन्द्रावती : मैं तो यह जानना चाहती हूं कि कब तक करेंगे । दादरी का मुझे पता है । जब बाढ़ आई थी तो मैं मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में लाई थी । वहां पर मेरा घर जो डूबा वह सीवरेज की वजह से ही डूबा है । इसी तरह से बहल, डिघाना, चरखी, मंढोली और सिवानी वगैरह भी हैं जहां सीवरेज नहीं है । मैं जानना चाहती हूं कि इन जगहों पर काम कब तक शुरू करवा देंगे । आप कोई निश्चित टाईम बता दें कि 6 महीने में या 7 महीने में करवा देंगे । इसके लिए आपने कोई प्लान तो बनाया होगा । अगर इस बारे में मन्त्री महोदया नहीं बता सकतीं तो मुख्य मन्त्री जी बता दें ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जहां जहां भी बाढ़ स्टेट में आ गई उसकी वजह से सीवरेज खराब हो गए और टैंक भी खराब हो गए । उनको हम वार फुटिंग पर ठीक करने जा रहे हैं । पैसा डिपार्टमैंटस को दे दिया गया है और डिपार्टमैंटस इस ओर तेजी से लगे हुए हैं । हमारी कोशिश यह है कि 31 मार्च तक बाढ़ की वजह से सीवरेज की जो लाइनें खराब हो गई हैं, पीने के पानी की स्कीमें खराब हो गई हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं । जहां पहले से सीवरेज नहीं है और होना चाहिए उस बारे में मन्त्री जी ने ठीक बताया कि जहां पांच और पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले गांव हैं, शहर तो उसमें आ ही गए उनको हम कवर करने जा रहे हैं । सवाल है पैसे का कि कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल होता है । जैसे ही पैसा आएगा यह काम शुरू कर देंगे । ऐसे गांवों की हमने लिस्ट बनाई हुई है । हर जिले में इस काम को शुरू किया जाएगा । यह नहीं कि एक जिले में कर देंगे और दूसरे को नहीं लेंगे । हमने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि दूसरे जिले के लोग यह न कहें कि एक जिले के गांवों में काम शुरू

कर दिया और हमारे में नहीं किया । इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहां जहां 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी अवेलेबल है वहां पर घरों में पानी की टूटियों का भी कनैकशन देने जा रहे हैं ।

Construction of Roads

*1270. **Sathi Lehri Singh** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads of districts Kurukshetra and Yamuna Nagar—

(i) Gurha to Bhukhari via Gurhi (Kurukshetra)

(ii) Hartan to Ghalaur (Yamuna Nagar)

(iii) Bagro to Bodla (Kurukshetra)

(iv) Mukarpur to Kolapur (Kurukshetra)

(v) Berthla to Dhanani (Kurukshetra)

(vi) Sanghar to Sunaria (Kurukshetra)

(vii) Hamidpur to Alaher (Yamuna Nagar)

(viii) Jathlana to Alahar (Yamuna Nagar)

(ix) Jathlana to Unheri (Yamuna Nagar)

(x) Seelikhurd to Ghalaur (Yamuna Nagar)

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of office/residence of the S.D.O., (P.W.D.), Radaur ; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialised ?

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) ;

(a) & (b) Sir, as the villages figuring in the road-links in question are, already connected from one or more sides, for the present, there is no proposal under consideration of the Government for construction of these link-roads.

(c) No, Sir, there is no such proposal, at present.

साथी लहरी सिंह : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने मेन सवाल का जवाब दिया है कि प्रश्न में दर्शाए गए गांवों की लिंक सड़कें पहले से ही एक या एक से ज्यादा तरफ से पक्की सड़कों से जुड़ी हुई हैं इसलिए इन सड़कों को बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है । स्पीकर साहब, इनमें से गुढ़ी एक ऐसा गांव है जो आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है । मैं इस गांव की सड़क को बनवाने के बारे में पिछले चार सैशन से लगातार सवाल पूछ रहा हूं और मंत्री जी मेरे सवाल को अपने कान से उतार कर बाहर रख देते हैं । इस गांव की अलग पंचायत भी है । आज तक उसको सड़क से नहीं जोड़ा गया है । मंत्री जी यह बात कह कर हाउस को मिसलीड क्यों कर रहे हैं कि वह गांव सड़क से जुड़ा हुआ है । क्या मुझे इस बारे में कोई एफिडैविट देना पड़ेगा या इनके खिलाफ कोई केस दर्ज करवाना पड़ेगा क्योंकि मंत्री जी ने इस गांव के बारे में जो जवाब दिया है वह ठीक नहीं है । इसी तरह से हरसान से घलौर और जठलाना से उन्हेड़ी गांवों के लोगों को 30-30 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना जाना पड़ता है इसलिए इन सड़कों को भी बनाना बहुत ही जरूरी है । गुढ़ी गांव की सड़क के बारे में मैंने मंत्री जी से मिल कर बरबली रिक्वैस्ट भी की थी कि वह गांव किसी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है आप उस सड़क को बनाएं ।

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने अपनी हद से बढ़ कर बात कही है । मैंने पिछली रात को ही डी0 सी0 से और चीफ इंजीनियर से इस गुढ़ी गांव की आबादी के बारे में पूछा था उन्होंने मुझे बताया कि गुढ़ी गांव डायरैक्टरी विलेज में नहीं आता है । मेरे लायक दोस्त को इस बारे में कोई एफेडैविट देने की जरूरत नहीं है । अगर उस गांव की आबादी 250 से ज्यादा है तो उसको एग्जामिन करवा लेंगे और उसको रोड से जोड़ देंगे । बाकी सारे गांव एक या एक से ज्यादा तरफ से सड़कों से जुड़े हुए हैं । जिन दो गांवों की सड़कों के बारे में इन्होंने कहा है ये सैशन के बाद मेरे से मिल लें और बता दें कि इनका कितना डिस्टैंस बनता है। उस पर विचार कर लेंगे और उनको बनाने का कोई प्रावधान करेंगे ।

साथी लहरी सिंह : मैंने उस सड़क के बारे में पहले भी आपसे रिक्वैस्ट की थी । उस गांव की पंचायत अलग है लेकिन आपने इस पर कोई गौर नहीं किया ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि उस गांव की अलग पंचायत है तो उसकी आबादी भी 250 से ज्यादा ही होगी । यह सड़क कितनी लम्बाई की बनानी है ।

चौधरी अमर सिंह : यह डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उसको 6 महीने के अन्दर अन्दर बनवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : फरल गांव में फूलगू का मेला लगता है और उस मेले में 10 लाख से भी ज्यादा यात्री आते हैं । वह मेला कभी 5 साल में, कभी 6 साल में और कभी कभी 10 साल में लगता है । वहां पर दो किलोमीटर लम्बी सड़क मेला फण्ड से बनाई हुई है वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की बुकस में नहीं है क्या उस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० बुकस में लिया जाएगा और उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी क्योंकि वह टूटी हुई है ?

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर साहब, वहां पर जो मेला फण्ड से सड़क बनाई हुई हैं उसको पी० डब्ल्यू० डी० बुकस में ले कर उसकी मरम्मत 31 मार्च से पहले करवा देंगे ।

Opening of Regional Centre of M.D. University at Palwal

*1275. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Regional Centre of M.D. University, Rohtak at Palwal for the Post Graduation Classes during the year, 1996 ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : जी नहीं । वर्ष 1996 में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के अधीन पलवल में रीजनल सैन्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात के लड़के और लड़कियों को एम० ए० और बी० एड० के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है । जब चौधरी भजन लाल जी हमारे पलवल शहर में गए तो इन्होंने उस समय कहा था कि एस० डी० कालेज में ये क्लासिज शुरू करवाएंगे लेकिन उसमें कोई टैक्नीकल बात ऐसी आ गई जिसके कारण उस कालेज में ये क्लासिज शुरू नहीं कराई जा सकती क्योंकि वह प्राइवेट कालेज है । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि एम० डी० यूनिवर्सिटी के तहत पलवल में एक रीजनल सैंटर खोल दे ताकि फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात के लड़के और लड़कियों को रोहतक, सोनीपत और भिवानी न जाना पड़े ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज का ताल्लुक है, वह पलवल से 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर फरीदाबाद में है जहां वाणिज्य, इतिहास, मनोविज्ञान, संगीत विज्ञान में एम० ए० की क्लासिज उपलब्ध हैं । एक दलाल साहब ने कहा है कि किसी कालेज में मुख्य मंत्री महोदय

[श्री फूल चन्द मुलाना]

ने एम0 ए0 की क्लासें चालू करने की घोषणा की थी । इस बारे में इन्हें बताना चाहूंगा कि उस कालेज की तरफ से लिखित में आवेदन पत्र आयेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा । जहां तक रीजनल सेन्टर खोलने की बात है वह विश्वविद्यालय परपोजल सरकार को भेजता है । विश्वविद्यालय ने एक बार 1989 में परपोजल भेजी थी उस वक्त वह रिजैक्ट हो गई थी । एक रीजनल सेंटर खुलने पर करोड़ों रुपये की लागत लगती है और उस सेंटर के लिए 100 से 300 एकड़ तक जमीन चाहिए । वहां पर एम0 ए0 की क्लासों के लिए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है । और भी किसी कालेज में एम0 ए0 की क्लासें पलवल में या फरीदाबाद में जरूरत हुई तो उस पर भी विचार कर लिया जायेगा ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि ऐसा रीजनल सेंटर खोलने के लिए विश्वविद्यालय परपोजल भेजेगा । मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार सिरसा, हिसार में रीजनल सेन्टर खुद खोलने का प्रस्ताव ले कर आ सकती है तो फरीदाबाद या पलवल के लिए ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं ला सकती । इसलिए मेरी मांग है कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का एक रीजनल सेंटर पलवल या फरीदाबाद में खोला जाये । यदि ऐसा प्रस्ताव विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं आता तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जितने भी वहां पर कालेज हैं उन सभी में एम0 ए0 की क्लासें शुरू कर दी जाएंगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अभी कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि हिसार, सिरसा में रीजनल सेंटर खुल सकता है तो पलवल या फरीदाबाद में क्यों नहीं खुल सकता । इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि वहां पर इस सेन्टर के लिए जमीन उपलब्ध करवाई गई और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्रस्ताव आया था । पलवल के लिए भी यदि कोई सुझाव आता है तो फिर सरकार उस सुझाव पर विचार कर सकती है ।

चौधरी ओम प्रकाश जेरी : क्या मंत्री महोदय, इसलिए रीजनल सेन्टर बनाने की बात से इन्कार तो नहीं कर रहे कि यदि हिसार में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बन सकती है या सिरसा में रीजनल सेंटर बन सकता है तो इसी प्रकार की मांग दूसरी जगहों से आ सकती है और वह ऐसे सेन्टर खोलने का आधार हो सकता है, क्या ऐसी कोई बात तो नहीं है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : कोई आधार बन जाए, ऐसी बात नहीं है । आज हमारे यहां पर जो विश्वविद्यालय हैं वे सारे के सारे वर्ल्ड में माने हुए हैं और उन्होंने काफी तरक्की की है । यदि किसी विश्वविद्यालय से कहीं पर रीजनल सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अभी मंत्री महोदय, ने कहा कि किसी रीजनल सैंटर खोले जाने के लिए जमीन चाहिए । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि हम इनको पलवल में या फरीदाबाद में मुफ्त में जमीन उपलब्ध करवा दें और लिखित में हम वहां के लोगों की तरफ से प्रस्ताव भिजवा दें तो क्या वहां पर फिर रीजनल सैंटर खोला जा सकता है ।

श्री फूल चन्द मुलाना : रीजनल सैंटर खोले जाने का आधार केवल जमीन का उपलब्ध होना ही नहीं है । उस पर करोड़ों रुपये और भी खर्च होते हैं । यह भी देखना होता है कि वहां पर कितनी क्लासें एम0ए0 की चल रही हैं और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं । ये सारी चीजें देखनी होती हैं । करोड़ों रुपये सरकार का खर्च होता है और कुछ पैसा यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन का भी खर्च होता है । सबसे 10.00 बजे । पहले रीजनल सैंटर खोलने का सुझाव एम0डी0 यूनिवर्सिटी को दें तभी यूनिवर्सिटी उस पर विचार करके सरकार को भेजेगी । जब यूनिवर्सिटी से सुझाव आएगा तो सरकार तुरन्त उस पर विचार कर लेगी ।

श्री अजमत खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे बहुत ही लायक मन्त्री हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा रीजनल सैंटर की मांग होने की बात कही है । रीजनल सैंटर का जहां तक ताल्लुक है, यह तो उनको हमारे इलाके में खुद ही खोल देना चाहिए कम से कम मांग या प्रपोजल आने की बात नहीं होनी चाहिए थी । हमारे मेवात के इलाके में कहीं पर भी कोई रीजनल सैंटर नहीं है । कोई वहां पर रीजनल सैंटर मांग या कोई स्कीम वहां पर ऐसी बनाएं, मन्त्री महोदय को इस बारे इन्तजार नहीं करना चाहिए था क्योंकि वे खुद जानते हैं कि जितने भी रीजनल सैंटर्ज बने हुए हैं वे सभी दिल्ली के उत्तरी तरफ बने हैं हमारे इलाके में कोई भी रीजनल सैंटर नहीं है क्या मन्त्री महोदय उस क्षेत्र में रीजनल सैंटर खोलने बारे विचार करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 1989 में सुझाव मांगा गया था लेकिन महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी ने कहा कि भविष्य में हमने रीजनल सैंटर रिवाड़ी को सुदृढ़ करना है इसलिए अन्य मांगे गये सुझावों को रद्द कर दिया था । दोबारा उनकी ओर से कोई सुझाव आया ही नहीं है कि वहां पर किस चीज की आवश्यकता है । यूनिवर्सिटी पलवल को बजाए रिवाड़ी के रीजनल सैंटर को सुदृढ़ करना चाहती है, पलवल के लिए तो कोई सुझाव है नहीं आया है ।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में रीजनल सैंटर्ज जो खुले हैं वे हिसार और सिरसा में खुले हैं, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल सैंटर खोलने का क्या क्राईटीरिया है । क्या इसके लिए कोई लोगों की मांग होनी चाहिए या कि राजनैतिक दबाव को मद्देनजर रख कर

[प्रो० छतर सिंह चौहान]

ये सैंटर्ज खोले गए क्योंकि जो रीजनल सैंटर्ज हिसार और सिरसा में खुले हैं ये दोनों स्थान राजनीतिक पावर्ज वाले हैं। जहां तक लोगों की मांग का ताल्लुक है, भिवानी और पलवल के लोग भी चाहते हैं कि वहां पर रीजनल सैंटर्ज बनें। कौन आदमी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा न मिले। अध्यक्ष महोदय, लोगों की रिक्वायरमैंट को देखना गवर्नमैंट की ड्यूटी है इसलिए मांग आने की कोई बात नहीं होनी चाहिए (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि रीजनल सैंटर्ज बनाने का क्राईटेरिया गवर्नमैंट को खुद सोचना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सिरसा और हिसार के रीजनल सैंटर्ज के लिए जो जगह दी गई है वह लोगों द्वारा दी गई है या कि सरकार ने उपलब्ध करवाई है। अगर पलवल या फरीदाबाद के लोग जमीन अपलब्ध करवाएं तो क्या वहां पर रीजनल सैंटर खोलने बारे सरकार विचार करेगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक आधार की कोई बात नहीं होती है। रीजनल सैंटर के लिए जमीन सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है या कि लोग उपलब्ध करवाएं यह तो बाद की बात है पहले रीजनल सैंटर की स्थापना बारे विश्वविद्यालय को देखना होता है और विश्वविद्यालय के जूरिसडिक्शन में विभिन्न क्षेत्रों में भावी विकास को सन्मुख रख कर ही कोई परपोजल बनती है। विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में भविष्य की रिक्वायरमैंट को मद्देनजर रख कर शाखाओं का प्रसार कर सकता है और वहां पर क्षेत्रों का प्रबन्ध रीजनल स्तर पर देना चाहता है तो दे सकता है। उस रीजनल सैंटर के विकास हेतु धन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और यू०जी०सी० भी कुछ धन देती है। यूनिवर्सिटी की परपोजल के आधार पर ही किसी क्षेत्र में रीजनल सैंटर खुल सकता है। अध्यक्ष महोदय, जब विश्वविद्यालय की ओर से कोई सुझाव ही नहीं आया तो फिर जमीन का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब तक एम० डी० यूनिवर्सिटी द्वारा रीजनल सैंटर खोलने के बारे में परपोजल नहीं आती है क्या शिक्षा मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि फरीदाबाद जिले में मेवात क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई ओपन यूनिवर्सिटी खोलने बारे विचार करेंगे। जहां तक मेरा विचार है एक ओपन यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में हरियाणा में बनी भी है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस ओपन यूनिवर्सिटी का कोई सैंटर जिला फरीदाबाद में भी खुलवाएंगे, क्या इस बारे में आश्वासन देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है वह सवाल से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इन्दिरा गांधी ओपन

यूनिवर्सिटी है और इसी तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कौंसपोंडैंस कौंसिल चलते हैं और वहां पर किसी भी प्रदेश से कोई भी दाखिला ले सकता है ।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल आफ प्रौसिजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस इन दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली के रूल 265 के अधीन विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है । पिछले दिनों से हमारे महान सदन का समय बर्बाद हुआ है, इस बारे में यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह डिसअलाऊ हो चुका है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ भी न रिकार्ड करने के आर्डर कर दिए हैं लेकिन ये फिर भी बोले जा रहे हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए ।

Mr. Speaker : The matter does not require the intervention of the Assembly. Dalal Sahib, please sit down. (Interruptions) Nothing should be recorded.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, रूल 265 में लिखा हुआ है कि * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : ये जो बोल रहे हैं यह रिकार्ड न किया जाए ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी काल अटैंशन मोशन बाढ़ के बारे में दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह हमारे पास आज ही आया है और यह पहले भी कलब हो चुका है । इसलिए यह रिजैक्ट हो चुका है ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पहले नहीं आया है । * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

छप-मण्डल चरखी दादरी इत्यादि में ओलावृष्टि से खड़ी फसलों के नुकसान संबंधी

Mr Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Sarvshri Chhattar Singh Chauhan, Om Parkash Beri and Ram Bhajan, M.L.A.s. regarding damage to standing crops due to hailstorms in the sub division of Charkhi Dadri etc. I admit it. Shri Chhattar Singh Chauhan may read his notice.

Prof. Chhattar Singh Chauhan : I want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent public importance that on 25th February, 1996, there was a heavy hailing in some parts of the State particularly in the Sub-Divisions of Charkhi Dadri, Jhajjar and Bhiwani and caused a heavy loss to the standing Rabi Crops. Incidentally these are the areas where flood of August/September, 1995 had caused a havoc and the Haryana Government failed to rise to the occasion to cater the needs of the people and this hailing has added salt to the injury of the people who had not recovered from the shock of the flood and Government failed in all respects to compensate the flood effected people. Now this recent hailing has completely damaged the standing crops in the viliages of above stated Sub-Divisions. Therefore, I request the Government to make a statement on the floor of the House in this regard.

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, I would request the Revenue Minister to make a Statement.

राजस्व मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि 25-2-96 को ओलावृष्टि से रोहतक तथा भिवानी .....

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

हवाला कांड से संबंधित मामला उठाना

श्री कर्ण सिंह यादव : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य बाद में पढ़ देंगे, पहले आप हमारी बात तो सुनिए । हवाला कांड में जो दोषी हैं, उनकी बात तो सदन में होनी चाहिए ।

(इस समय डा० राम प्रकाश और श्री छत्तर पाल सिंह, अनअटैच्ड सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : अब जीरो आवर खत्म हो गया है इसलिए आप सभी बैठिए । (विघ्न)

डा० रामप्रकाश : स्पीकर सर, हवाला कांड के बारे में भी मुख्यमंत्री-जी को बताना चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए । (विघ्न)

डा० रामप्रकाश : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बैठिए ।

चौधरी भजन लाल : आप क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है । आप पहले तिवारी जी की जमानत तो करवा लें । (विघ्न)

डा० रामप्रकाश : स्पीकर सर, * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, आप भी बीच में इंटरवीन न करें । (विघ्न) रामप्रकाश जी, आप भी बैठिए । मैं आप सभी को एक शेर सुनाता हूं ।

"खमोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा,
अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनो में" (हंसी)

डा० रामप्रकाश : सर, मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है । (विघ्न) मैं पहले ही आपका नोटिस डिस अलाउ कर चुका हूं । आप सभी बैठिए ।

डा० रामप्रकाश : स्पीकर सर, * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप बिना इजाजत के बोलेंगे तो मैं आपको नेम कर दूंगा । (Noise & Interruptions) I shall have to name you if you speak without my permission. Please take your seat. अब डांगी साहब, अपना वक्तव्य देंगे । (विघ्न)

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि 25-2-96 को ओलावृष्टि से रोहतक तथा भिवानी जिलों में खड़ी फसलों को नुक्सान पहुंचा है । इसके अतिरिक्त उसी दिन हिसार, सिरसा, तथा अम्बाला जिलों में भी ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुक्सान होने की सूचना मिली है । इससे पूर्व 9-2-96 को महेन्द्रगढ़ जिले में भी ओलावृष्टि हुई । इन जिलों के उपायुक्तों से प्राप्त सूचना के अनुसार ओलावृष्टि से 128 गांव प्रभावित हुए हैं । (विघ्न)

हवाला कांड से संबंधित मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, पहले हम अपनी बात कहेंगे, बाद में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे दें ।

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । सर, पिछले कई दिनों से इस हवाला कांड को लेकर और उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम शामिल करके यहां पर आवाज उठायी जाती रही है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : यह नाम हम नहीं जोड़ रहे हैं बल्कि अखबार और मैग्जीन इनका नाम हवाला कांड से जोड़ रहे हैं । सर, मेरे पास एक मैग्जीन है जिसके 14 पेज पर चौधरी भजनलाल जी के बारे में दिया हुआ है । मैं यह मैग्जीन वीरेन्द्र सिंह को दिखा देता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : ठीक है, यह आप मुझे दिखा दें । स्पीकर सर, आखिर हम सब किसी न किसी रूल के तहत गवर्न होते हैं लेकिन बिला वजह कोई बात यहां पर उठाना हाउस का टाईम खराब करना ही है । इस हवाला कांड की देश की सबसे हाईऐस्ट ऐजंसी जांच कर रही है लेकिन कहीं पर भी चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ किसी किस्म का कोई इल्जाम, कोई चार्जशीट नहीं है ।

डा.0 रामप्रकाश : लेकिन सी0 बी0 आई0 इनसे पूछताछ करने आयी है या नहीं, यह भी बताएं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आज तक भी किसी प्रकार का कोई ऐवीडैन्स इनके खिलाफ नहीं मिला है । फर्ज करो कि सी0 बी0 आई0 इनसे पूछने भी आयी है लेकिन कोई ऐवीडैन्स नहीं मिला है ।

डा0 रामप्रकाश : फर्ज करो नहीं, बल्कि सी0 बी0 आई0 ने इनसे पूछताछ की है ।

श्री अध्यक्ष : रामप्रकाश जी, आप बीच में बिना इजाजत के क्यों बोल रहे हैं । आपको बोलने की इजाजत नहीं दी गयी है । आप केवल चेयर को ही ऐड्रैस करें । मैं आपको फिर एक बार वार्न करता हूं ।

डा0 रामप्रकाश : सौरी सर, मैं अब चेयर को ही एड्रैस करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : डा0 साहब, आप उनको क्लैरीफाई करने दें । यह हाउस सिर्फ आपके लिए ही नहीं है और न ही यह क्वैश्चन आनसर का टाईम है । (विघ्न) अब ये जो भी बोलें उसको रिकार्ड न किया जाए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : तो स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि सपोज कोई इन्वैस्टिगेटिंग ऐजेन्सी मुख्यमंत्री जी या मेरे पास या डा0 रामप्रकाश जी के पास पूछताछ करने आ जाए इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं मुजरिम हो गया । पूछताछ करके कोई बरी कर दे तो कोई गुनाह हो गया क्या ? बिना किसी ऐनीडैंस के सैशन शुरू होने के दिन से लगातार जो आवाज उठाई जा रही है यह शोभा नहीं देता, इससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा है । न हाउस का लाभ होने जा रहा है और न ही हरियाणा की जनता को कोई लाभ होने जा रहा है । महज अखबारों की बिनाह पर वह भी तरह तरह की बातें हैं उसमें कहीं बी0 सी0 लिखा है कहीं कुछ लिखा है उसको बी0 लाल भी लिखा हो आखिर उसको भी डिसाइफर करना है । तो मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि हम यहां ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे हरियाणा प्रदेश का भला हो, हरियाणा की जनता का भला हो । छींटाकशी करने के लिए यहां मुद्दे न उठाए जाएं और न ही उठाने दिए जाएं ।

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आॅफ आॅर्डर है । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, हवाला कांड का मुद्दा बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप हमारी बात तो सुनिए ।

श्री अध्यक्ष : छत्तरपाल जी, कल भी आपने इस तरह से किया और आज भी इस तरह से कर रहे हैं । It is not proper for you. (Interruptions). Nothing is to be recorded, what he is saying.

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, आज असैम्बली चलते हुए 5वां दिन है और 5 दिन से लगातार (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Prof. Chhattar Pal Singh, you are not behaving like a good M.L.A.

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, 5 दिन से लगातार मेरे दोस्तों ने हर समय खड़े होकर सदन का समय बर्बाद किया है । स्पीकर सर, यह मामला देश के हाई-एस्ट कोर्ट में है । हाईएस्ट ऐजन्सी सी० बी० आई० इसकी इंक्वायरी कर रही है। हमारी असैम्बली से इसका कोई कनैक्शन नहीं है यह नेशनल लेवल पर है । डा० रामप्रकाश जी बार-बार इस बारे कह रहे हैं इनके जो नेता तिवारी जी हैं, उनके भी वारंट निकले हुए हैं अर्जुन सिंह के वारंट निकले हुए हैं ये किस ढंग से बात कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) यह सिर्फ अखबारों की टिप्पणी से जिसमें भी कहीं बी० लाल लिख दिया कहीं बी० सी० लिख दिया इस बात को बार-बार उठा रहे हैं । मेरे फाजिल दोस्तों का यह बिहेवियर, यह बोलने का सिस्टम बिल्कुल अशोभनीय है ।

Dr. Ram Parkash : Mr. Speaker, Sir, there is very much name of the Chief Minister.

Mr. Speaker : Dr. Ram Parkash Ji, I shall name you if you persist like this.

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इनका कंडक्ट बिल्कुल ठीक नहीं है । खास तौर से मैं छत्तर पाल सिंह जी का व कर्ण सिंह दलाल जी का नाम लूंगा । इन्होंने 5 दिन से लगातार कई बार इसी बात पर वाकआउट किया है । स्पीकर सर, आपकी कुर्सी की तरफ छत्तर पाल जी ऐसे आते हैं जैसे शाम को झील पर टहल रहे हों । यह असैम्बली है इसकी डिगनिटी है इनका बिहेवियर अशोभनीय है । इस अगस्ट हाउस के मुताबिक नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन के रैस्ट आफ सैशन के लिए इनको सदन से निकाला जाए ।

वाक आउट

डा० रामप्रकाश : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर इसमें इनवाल्वड हैं ।

Mr. Speaker : Dr. Ram Parkash, I warn you and I shall name you if you persist like this. आप हर मामले में इन्टरवीन करते हैं ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई इन्टरवीन नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं एज-ए प्रोटैस्ट वाक-आउट करता हूं।

(इस समय असम्बद्ध सदस्य, डा० राम प्रकाश सदन से वाक-आउट कर गए)

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। आप हमारी बात भी नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छत्तर पाल जी, आप बैठिए। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हमारी बात तो सुनिए।

(इस समय प्रो० छत्तर पाल सिंह और श्री कर्ण सिंह दलाल बिना इजाजत के बोलते रहे और चेयर के बार-बार कहने के बावजूद भी हाऊस में डिस-आर्डर क्रिएट करते रहे। (इस समय हाऊस में काफी कोलाहल था)

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : स्पीकर साहब, आप इनसे कहें कि ये हाऊस की कार्यवाही चलने दें, वर्ना मुझे इनको हाऊस से निकालने के लिए मोशन मूव करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : छत्तर पाल सिंह और दलाल साहब, मैं आपको फिर कहता हूं कि आप कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

(इस समय प्रो० छत्तर पाल सिंह और श्री कर्ण सिंह दलाल बिना इजाजत के बोलते रहे)

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

> That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Chhattarpal Singh and Karen Singh Dalal.

स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि श्री छत्तरपाल सिंह और श्री कर्णसिंह दलाल को रैस्ट आफ दि सैशन के लिए निकाल दीजिए ताकि सैशन का सिस्टम ठीक ढंग से चल सके। स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय लीडर आफ दि हाऊस ने इस बारे कैटेगरीकली कहा है और सारी बातों को डिसाई

[Shri Jagdish Nehra]

किया है । एक बार नहीं तीन-चार बार डिलाई किया है । मैंने इसको मूव कर दिया है और लिखकर दे रहा हूं ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Chhattarpal Singh and Karan Singh Dalal.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Chhattarpal Singh and Karan Singh Dalal.

The motion was carried.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I also beg to move—

That Sarvshri Chhattarpal Singh and Karan Singh Dalal, M.L.As., be suspended from the service of the House for the remainder of the session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their already having been repeatedly warned for grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Sarvshri Chhattar Pal Singh and Karan Singh Dalal, M.L.As be suspended from the service of the House for the remainder of the session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their already having been repeatedly warned for grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That Sarvshri Chhattar Pal Singh and Karan Singh Dalal, M.L.As be suspended from the service of the House for the remainder of the session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their already having been repeatedly warned for grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Shri Chhattar Pal Singh and Shri Karan Singh Dalal may go out now. (Noise and interruptions.)

(Shri Chhattar Pal Singh and Shri Karan Singh Dalal did not withdraw from the House and continued speaking).

Mr. Speaker : Marshal, take them out of the House.

(Noise and interruptions).

(The above suspended members did not withdraw from the House. The Speaker then repeatedly asked the suspended members to withdraw from the House but the orders of the Speaker were not obeyed by these members.)

Mr. Speaker : Sergeant-at-Arms, take these Members out from the House with the aid of Watch and Ward Staff.

(Shri Chhattar Pal Singh even came to the well of the House and damaged the mike of the table of the Chief Minister. The Speaker again directed the Sergeant-at-Arms to take these members out from the House, one by one. There were great noise, disturbances, turmoil and scufflings in the House. The members were taken out from the House by the Sergeant-at-Arms with the aid of Watch & ward staff.)

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की भी बात है कि इस अगस्ट हाऊस में इस ढंग की वारदात हुई जबकि आपने और लीडर ऑफ दी हाऊस ने हमेशा विपक्षी सदस्यों को हरेक चीज में पहल दी है, उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया गया । आपने देखा भी होगा कि आपने टाईम भी कम से कम 3 या 4 गुणा दिया । कांग्रेस के सदस्यों से ज्यादा समय उनको दिया गया और कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो नहीं बोला हो । जिसने 5 मिनट बोलना था, उसको दस मिनट दिए गए और पूरा समय दिया गया और लीडर ऑफ दी हाऊस ने यह भी कहा है कि एक्स्ट्रा समय उनको दिया जाए तथा परसों लगातार अढ़ाई बजे से लेकर साढ़े 5 बजे तक स्पीकर सर, 3 घण्टे एक्स्ट्रा दिए गए । इस सदन का समय इस ढंग से इस्तेमाल किया गया है कि हमारे सदस्यों को कम बोलने दिया गया जबकि विपक्षी सदस्यों को ज्यादा समय बोलने का मिला । लीडर ऑफ दी हाऊस ने तरजीह भी दी और कहा कि इस ढंग के बावजूद हमने विपक्षी सदस्यों को काफी समय दिया और वे इस मामले को लेकर यहां सदन का समय नष्ट करने में लगे रहे और जरा भी परवाह नहीं की । नियमों की पालना हर मैम्बर के लिए आवश्यक है । आपने एक दो बार नहीं बल्कि 10 बार खड़े हो कर कहा कि आप अपनी सीट ग्रहण करें । लेकिन इन्होंने नहीं की । इसलिए यह कार्यवाही हमें करनी पड़ी । हमने यह कार्यवाही आज सैशन के पांचवें दिन की है जबकि यह हमें दूसरे या तीसरे दिन ही करनी चाहिए थी । लीडर आफ दि हाउस ने सोचा

[श्री जगदीश नेहरा]

था कि शायद ये ठीक हो जाएंगे लेकिन ये ठीक नहीं हुए इसलिए आज यह कार्यवाही करनी पड़ी। आज तो इन्होंने हद ही कर दी । आप खुद ही बताएं कि क्या ये सदस्य बनने के योग्य हैं । फिर ये अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं । (विघ्न) तो जो यह वाकया हुआ है यह बड़ा अफसोसनाक है । आपने यह सारी कार्यवाही हाऊस को ठीक ढंग से कंडक्ट करने के लिए की इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, आज की घटना जो घटी वह बहुत ही दर्दनाक है । इस हाऊस के हर सदस्य को कुछ गरिमा में रहना चाहिए । माननीय नेहरा साहब ने जो बात कही कि नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना हर सदस्य के लिए जरूरी है । लेकिन ये विपक्ष पर लागू होते हैं मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष पर उससे ज्यादा लागू होने चाहिएं । कितने अफसोस की बात है कि * * * * * * *

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, यह गलत बात है और रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए । इन हालात को देखने का आपका काम है, हमारा इसमें कोई दखल नहीं । आपने देखा कि छत्तर पाल सिंह ने माइक तोड़ दिया । आपको पता है कि वाच एंड वार्ड के 15 सदस्य थे लेकिन वे दो आदमियों को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाल सके । इसका मतलब यह है कि उन्होंने माननीय सदस्यों के साथ नर्मी बरती है । उन्होंने रिक्वैस्ट करके बार बार उनको आगे किया । इसलिए हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है । इसलिए जो बात प्रो० छत्तर सिंह चौहान कह रहे हैं वह रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वह बात रिकार्ड न की जाए ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति नियमों का उल्लघंन करता है तो आपने इस हाऊस को नियमों के अनुसार चलाना है और इसलिए उस बारे में आप जो कार्यवाही करेंगे हम उसे मानेंगे । लेकिन अगर सत्ता पक्ष का कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको भी आप कन्ट्रोल करें । सत्ता पक्ष इतना निरंकश हो जाए * * * * * * * * * * *

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, ये फिर वही बात कर रहे हैं । ये शब्द रिकार्ड पर नहीं आने चाहिएं ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने सारी बात क्लीयर कर दी है इसलिए ऐसी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए ।

Prof. Chhattar Singh Chauhan : Sir, I am expressing my view with your permission.

Mr. Speaker : Parliamentary Affairs Minister has already clarified the position from the Government side.

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं इसलिए मैं आपसे रिकवैस्ट करता हूं क्योंकि I have stood with your permission to express my view.

Mr. Speaker : Yes, I have permistted you but speak relevant.

सदन में व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवलोकन

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपको रूलिंग चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक उन माननीय सदस्यों को धक्के दे सकते हैं । (शोर) स्पीकर साहब, आपको इन्हें इस तरह से बीच में बोलने से रोकना चाहिए वरना हम इनको नहीं बोलने देंगे । (शोर)

Mr. Speaker : I am regretted to point out that my orders were not carried out in the House by Sarvshri Chhattal Pal Singh and Karan Singh Dalal and I am under legal obligation to maintain law and order in the House. An ugly scene has been created which I believe, is not in accordance with the high traditions of this Assembly. I, therefore, appeal to all the members to maintain order in the House so that proceedings can be conducted in a proper manner.

जहां तक मैम्बर्ज के बोलने का सवाल है इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि मैम्बर्ज कितनी कितनी देर बोले हैं । कांग्रेस पार्टी के मैम्बर्ज 430 मिनट्स में से 105 मिनट्स बोले । एच० वी० पी० के मैम्बर 174 मिनट बोले । बी० जे० पी० का केवल एक ही मैम्बर है वह 42 मिनट बोले । अनअटैच्ड मैम्बर 84 मिनट बोले । इन्डीपैन्डैंट मैम्बर 25 मिनट बोले । इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है वह अलग टाईम है । Now, no more discussions on it. सब पार्टियों को चाहिए जैसे एक शायर ने कहा है—

जिन्हें नहीं महफिल में बात भी करने का शऊर ।
ऐसे लोगों को आप आखिर महफिल में बुलाते क्यों हो ।।

[Mr. Speaker]

यह एक बहुत बड़ी अगस्ट बाडी है और इसमें सभी सदस्यों की रिप्रैजेंटेशन है । यहां पर प्रौपर आदमी होने चाहिएं । अगर वह सदस्य चीफ मिनिस्टर साहब का माइक भी तोड़ें और वह दूसरे माननीय सदस्यों का माइक तोड़ें, वह सीटों पर चढ़ जाएं, सीटों को अपनी तरफ खींचें और दूसरे एम0 एल0 एज0 को डिस्टर्ब करें तो आखिर वह एम0 एल0 एज0 क्या करें । रीएक्शन कहां से शुरू हुआ । रीएक्शन तो उन्हीं की ओर से इनीशिएट हुआ । उन्होंने बार बार कहने के बाद भी बात नहीं मानी । यह एक दिन की बात नहीं कई दिन से यह बात हो रही है । जब एक चीज रिजैक्ट हो गई, एक मजबून खत्म हो गया, जीरो आवर खत्म हो गया तो फिर वे बार बार क्यों इस तरह से बोलते हैं। That is not proper on their part. Now we shall proceed further.

उद्योग मन्त्री (श्री ए0 सी0 चौधरी) : स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूं । यह अलफाज कहे गए कि रीएक्शन । हमारी तरफ से कोई रीएक्शन नहीं था । वह सदस्य मुख्य मंत्री जी की सीट पर पहुंच गए और उन्होंने उनका माइक तोड़ दिया । कुलीग्ज के नाते अगर चार भाई मुख्य मंत्री जी के इर्द गिर्द खड़े हो जाएं तो इसमें क्या बुरा है । उन सदस्यों ने सीटें खींच ली और कुर्सियों पर खड़े हो गए । वह अपने तौर पर अपनी जगह छोड़ कर यहां आए । अगर एक परौमन और बावकार शख्सीयत का सबूत दिया तो किनारे हटने का मतलब कत्ल नहीं है। उस मामले में दखलअंदाजी का रीएक्शन नहीं है बल्कि अपने लीडर की प्रौटैक्शन के लिए अपने वजूद को बरकरार रखा है ।

Mr. Speaker : That position is clarified. माइक के बारे में आप अलग से केस भी दर्ज करा सकते हैं । इस बारे में केस भी दर्ज किया जा सकता है । इस तरह के एक केस में पहले 6 महीने की सजा भी हो चुकी है ।

सदस्यों के निलम्बन को रद्द करने के लिए अपील

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, अब जो कुछ भी हाऊस में हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था । प्रोफैसर चौहान साहब ने ठीक कहा है कि जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है उससे अधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है । पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर नेहरा साहब भी बीच में बार बार बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं । यह ठीक है कि आपने विपक्ष को ज्यादा बोलने के लिए समय दिया और विपक्ष को मिलना भी चाहिए । उससे सरकार को अपने कामकाज में सुधार करने

के लिए मदद मिलती है । इन दोनों विधायकों को जो चालू सैशन के लिए निकाला गया है उस बारे में मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें । वे यहां पर आ कर माफी मांग लेंगे और उनको हाउस में आने की इजाजत आप दे दें ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने के लिए समय दें । मेरी आपसे गुजारिश है कि सत्ता पक्ष ने जो अपनी बूट मैजोरिटी का इस्तेमाल करके इन दोनों विधायकों को निकाला है उनको वापस बुलाने पर पुनः विचार करें । यह इस सरकार का संध्याकालीन सत्र है । यह इनके मंत्रियों और विधायकों को शोभा नहीं देता कि वे धक्के मारें। They do not deserve to represent the people. They are ignoring the rules and regulations of the House. अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं । आप इस पर पुनर्विचार करें और उनको सैशन में बैठने की अनुमति दें । यदि उनका कसूर था तो इनका भी बराबर का कसूर था । इसलिए कसूरवार दोनों हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले पर पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : आपका टाईम हो गया है, अब आप बैठिये । उनको निकालने का फैसला सारे हाउस ने किया है ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सैशन का पांचवां दिन है । इन पांचों दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन श्री छत्रपाल व श्री कर्ण सिंह दलाल ने आपके आदेश माने हों। श्री छत्रपाल तो उठ उठ कर रोजाना यहां तक आता रहा और नारेबाजी करता रहा । जो विधायक यहां पर आता है वह जनता का चुना हुआ होता है । सारा देश चुने हुए नुमाइन्दों की तरफ देखता है कि आया हमारा चुना हुआ नुमाइंदा अपने इलाके के लिए कोई बात कहता है । कभी ये कोई अखबार दिखाने लग जाते हैं तो कभी कोई बुकलैट दिखाने लग जाते हैं । इनका मकसद सिर्फ शोर करना और बाधा डालना रहा है । कोई अच्छा सुझाव देना इनका काम नहीं है । इनके पास बोलने के लिए भी कोई नयी बात नहीं है । आपने बार बार उनको वार्निंग दी लेकिन फिर भी वे उस पर अमल न करें और अब आपने उनको नेम किया तो फिर भी वे हाउस से बाहर न जाएं यह कोई अच्छी बात नहीं । अब आपकी कोई बात न माने तो मजबूर होकर उनके खिलाफ सदन से निकाले जाने का प्रस्ताव लाना पड़े और फिर वे मेरे माईक को तोड़ें और विधायकों की सीटों पर खड़े हो जाएं । यह कोई अच्छी बात नहीं है । इन्होंने मेरे और 3-4 और भी माईक तोड़ दिए । जो फैसला उनको निकाले जाने का सदन ने लिया है वह ठीक लिया है । ये विधायक मैम्बरी के लायक नहीं हैं, हालांकि यह बात कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता लेकिन इनका आचरण ही ऐसा है कि ये मैम्बरी के लायक हैं ही नहीं । जनता ने इनको चुनकर भेजा है, उनको यह पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और किस सीमा में एक विधायक को रहना चाहिए । स्पीकर

[चौधरी भजन लाल]

साहब कहें कि हाउस का डैकोरम कायम रखें फिर भी वे न मानें तो कोई अच्छी बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, सारी चीज आपके सामने हैं । कोई विचारणीय मुद्दा हो, उस पर ये अपनी बात कहें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार का क्रिटिसिज्म करें हमें कोई तकलीफ नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सरकार का क्रिटिसिज्म किया भी है । किसी भी पार्टी का कोई भी मैम्बर ऐसा नहीं रहा जिसको बोलने का मौका न मिला । चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी की एकमात्र सदस्या श्रीमती जानकी देवी मान ऐसी सदस्या हैं जो नहीं बोलीं, बी० जे० पी० के नेता पूरा बोले । अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टीज के मैम्बर्ज बोले । सभी मैम्बर्ज को अपनी बात कहने का आपने पूरा मौका दिया, कम से कम उन लोगों को आपकी बात को मानना चाहिए था । रेशो के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के करीब 60 मैम्बर्ज हैं और बाकी के तमाम मैम्बर्ज को जो समय दिया गया है उसके मुकाबले में उन्हें काफी समय मिला है । जहां तक मैं समझता हूं चौधरी बंसी लाल जी अकेले ही एक घण्टा बोल लिए जब कि उनकी पार्टी की रेशो के हिसाब से उनका टाईम काफी कम बनता था । विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 40 मिनट बोला हूं (विघ्न) आप रिकार्ड निकलवा कर देख सकते हैं । मुझे बोलने के लिए 40 मिनट लगे हैं । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव केवल इतना ही है कि आपका एटीच्यूड उनके साथ हमेशा नर्मी का रहा है और आपने हमेशा उनके साथ नर्मी बरती जबकि वे उसके लायक नहीं थे । मजबूर हो कर हमें उनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाना पड़ा है और इस प्रस्ताव को सारे हाउस ने पास किया है । अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव पास हो चुका है उस पर दोबारा विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उनके बारे में कुछ कहने से कुछ न कहना ही अच्छा है । Now the Revenue Minister may make the statement on the Calling Attention Motion.

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि 25-2-96 को ओला वृष्टि से रोहतक तथा भिवानी जिलों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है । इसके अतिरिक्त उसी दिन हिसार, सिरसा तथा अम्बाला जिलों में भी ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान होने की सूचना मिली है । इससे पूर्व 9-2-96 को महेन्द्रगढ़ जिले में भी ओलावृष्टि हुई । इन जिलों के उपायुक्तों से प्राप्त सूचना के अनुसार ओलावृष्टि से 128 गांव प्रभावित हुये हैं ।

2. प्राप्त सूचना के अनुसार ओलावृष्टि से भिवानी जिले के 18 गांव, रोहतक जिला के 28 गांव, महेन्द्रगढ जिला के 14 गांव, सिरसा जिला के 27 गांव, हिसार जिला के 23 गांव तथा अम्बाला जिला के 18 गांव प्रभावित हुये हैं । नुक्सान का जायजा लेने के लिये सभी प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी की जा रही है । महेन्द्रगढ़ जिला में पहले ही विशेष गिरदावरी पूर्ण हो चुकी है और विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार ओलावृष्टि से 6257 एकड़ रकबा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है जिसमें से 586 एकड़ रकबा में नुक्सान 25 प्रतिशत से कम होना बताया गया है ।

3. सरकार की नीति के अनुसार प्रभावित किसानों/मुजारों को ओलावृष्टि से हुये नुक्सान का मुआवजा निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है :-;

	खड़ी फसलों का नुक्सान (अनाज/तिलहन)	सब्जियों की फसलों का नुक्सान
	(रुपये प्रति एकड़)	
(क) 75 प्रतिशत से अधिक नुक्सान	600	900
(ख) 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक नुक्सान	450	750
(ग) 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुक्सान	300	600

कुल राहत की 5 प्रतिशत के बराबर राशि खेतीहर मजदूरों (हरिजन) को भी दी जाती है ।

4. सरकार की उपरोक्त नीति के अनुसार सम्बन्धित उपायुक्तों को राहत राशि शीघ्र ही दे दी जायेगी ।

5. यह सत्य है कि अगस्त-सितम्बर, 1995 में रोहतक तथा भिवानी जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुये थे तथा लोगों को बहुत अधिक नुक्सान पहुंचा । राज्य सरकार ने बचाव एवं राहत कार्यों के लिये शीघ्र कदम उठाये । बाढ़ में घिरे लोगों को शीघ्र ही राहत शिविरों में पहुंचाया गया जहां पर उन्हें पका खाना, पीने का पानी दवाईयां आदि उपलब्ध करवाई गई । क्योंकि बाढ़ के कारण बहुत से गांव का सम्पर्क टूट गया था, राज्य सरकार ने रोहतक तथा भिवानी जिलों के ऐसे गांवों में हवाई जहाज से खाने के पैकेटस, दवाईयां, पीने के पानी की बोतलें

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

आदि गिरवाई । यह कार्यक्रम पालम, अम्बाला तथा सिरसा हवाई अड्डों से दिन में दो बार 5-9-95 से 13-9-95 तक चलता रहा । सारे राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नकद रूप में राहत दे दी गई है । रोहतक तथा भिवानी जिलों में दी गई राहत का 20-2-96 तक का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	उद्देश्य	रोहतक	भिवानी
		(रुपये लाखों में)	
1.	मकान मुरम्मत अनुदान	1243.56	977.00
2.	कृषि इनपुट सबसिडी	1163.45	420.97
3.	नलकूप मुरम्मत की सबसिडी	194.60	—
4.	मरे पशुओं का मुआवजा	5.23	6.26
5.	व्यापारियों को राहत	495.00	246.00

6. बाढ़ से प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राहत की दरों में संशोधन करने का निर्णय भी लिया । मकान की मुरम्मत के लिये राहत राशि दुगनी कर दी गई तथा नलकूप पर सबसिडी की दर 3000 रुपये प्रति नलकूप से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति नलकूप कर दी गई । इसी प्रकार रोहतक, भिवानी तथा हिसार जिला के शहरों में जिन व्यापारियों का नुक्सान हुआ था उनको पहली बार 5000 रुपये खोखा/रेहड़ी मालिक को, 10,000 रुपये छोटी दुकान के मालिक को तथा 20,000 रुपये, मुकम्मल तौर पर पक्की दुकान के मालिक को मुआवजा दिया गया है । इसी प्रकार स्वयं रोजगार करने वाले लोगों को जैसे कि नाई, मोची, साईकिल/स्कूटर ठीक करने वाले मिस्त्री को तथा अन्यों को 500 रुपये के हिसाब से राहत दी गई । क्योंकि बाढ़ का पानी कुछ क्षेत्रों से निकाला नहीं जा सका था अतः राज्य सरकार ने ऐसी भूमि का जो कि पिछली साल बोई गई थी और जिस पर इस साल बिजाई नहीं हो सकी, 3000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का निर्णय लिया । ऐसा पहली बार किया गया है ।

7. अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि राज्य सरकार स्थिति से पूरी तरह जागरूक है तथा बाढ़ और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिये तुरन्त पग उठाती है । मैं इस महान सदन को एक बार फिर यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों/मुजारों तथा खेती-हर मजदूरों (हरिजन) की कठिनाईयों को दूर करने/कम करने की पूरी कोशिश कर

रही है तथा करती रहेगी और सरकार की नीति के अनुसार उन्हें राहत राशि शीघ्र ही दे दी जायेगी ।

श्री० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भिवानी जिले के कौन कौन से गांव हैं जिनमें ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है । क्या रैवेन्यू डिपार्टमैंट ने गिरदावरी कर दी है या नहीं की है ? अध्यक्ष महोदय, मेरी इत्तलाह के मुताबिक 6 गांव तो ऐसे हैं जहां पर 100 फीसदी से ज्यादा नुक्सान हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में नुकसान हुआ है वे कृपा करके उनके नाम बताएं । स्पीकर साहब, बेहल, उन, तिमड़ा और सांपड़ा आदि ऐसे गांव हैं जिनमें पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है । वहां पर एक किल्ला के लिए 600 रुपए दिए गए हैं मैं तो यह कहता हूं कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है । सरकार जो कहती है कि हमने वहां पर मदद की है यह निराधार है । जिन किसानों का गेहूं और सरसों का किल्ला बर्बाद हो गया है उनको 600 रुपए दिए हैं यह ठीक नहीं है ।

अब इन्होंने बाढ़ राहत के बारे में कह दिया कि हमने बाढ़ में बहुत राहत दी है । मंत्री जी आप भी उसी इलाके से हैं और यह बात ठीक नहीं है । बौंद और नूंह को तो आपने नहर कटवा कर डूबो दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप टू दि प्वायंट बात करें ।

श्री० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट पर ही बात कर रहा हूं । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने यह एक लम्बी चौड़ी राहत की लिस्ट दी है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि भिवानी जिले के लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली है, कोई दवाई उनको नहीं मिली है और न ही उनको और कोई सामान मिला है । ये जो सारी इस तरह की बातें हैं केवल दिखावा है छलावा है । आप चाहें तो इस बात की इंक्वायरी करवा सकते हैं । भिवानी जिले में जो कम्बल आए थे वे वहां पर इसलिए नहीं बांटे गए क्योंकि डी० सी० कह रहा था कि इन कम्बलों की खरीद में कुछ गड़बड़ी हुई है । सर, यह गड़बड़ी कहां पर हुई है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए । इसी तरह से मंत्री जी नलकूपों के बारे में भी बता दें कि इस बारे में सबसिडी केवल रोहतक जिले को ही क्यों दी गई है । क्या इसलिए कि मंत्री जी वहां के रहने वाले हैं और ये रैवेन्यू मिनिस्टर हैं । मंत्री जी को भिवानी जिले को भी नहीं भूलना चाहिए इनको भिवानी जिले में भी नलकूपों के लिए सबसिडी देनी चाहिए । जब रोहतक जिले के ट्यूबवैल्ज खराब हो सकते हैं तो क्या भिवानी जिले के ट्यूबवैल्ज खराब नहीं हो सकते ? क्या आपने वहां पर तम्बू तान रखा था ? सर, मैं समझता हूं कि राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण भिवानी जिले के साथ इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप स्पीच क्यों दे रहे हैं । सवाल पूछिए ।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : सर, मैं स्पीच नहीं कर रहा हूं मैं अपने दुख को ही रो रहा हूं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भिवानी जिले के गांव जैसे जय श्री, मिश्री और हर्थाना की हजारों एकड़ भूमि पर आज भी जो पानी खड़ा है और जिसको निकालने के लिए सरकार आज भी नहीं कुछ कर रही है तो वे बताएं कि यह पानी क्या भगवान निकालेगा ? सरकार कब तक इस पानी को निकलवा देगी ? सर, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जो राशि ओलावृष्टि के लिए मंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट में दर्शाई है यह केवल दिखावा है, छलावा है । क्या सरकार किसानों को पूरी राहत राशि ठीक तरह से दिलवाने के लिए पुर्नविचार करेगी ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि भिवानी जिले के 18 गांवों में ओलावृष्टि हुई है लेकिन उन गांवों के पूरे नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं और वैसे भी इन्होंने पूरे गांवों का ब्यौरा सदन में मांगा नहीं था लेकिन 18 गांव ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है । भिवानी जिले के साथ ही मैंने दूसरे जिलों के बारे में भी बताया है और ओलावृष्टि से अगले ही दिन हमने इसके लिए स्पैशल गिरदावरी करवाने के लिए आदेश भी दे दिये थे और यह आज पूरी तरह से प्रोग्रेस पर है । गिरदावरी के अनुसार ही जितना जल्दी हो सकेगा किसानों को राहत राशि दे दी जायेगी । भिवानी जिले में जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई है उनमें से मैं कुछ के नाम यहां पर बता देता हूं । ये गांव हैं – कासला, चन्द्रावास, झुडावास, डावढानी, नीमड़ी, बिधनावास, बौंदकला, रनरौला, धनसेरा, बडेसरा आदि ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसको किसी और लेटर डेट को रख लें क्योंकि मुझे लगता है कि मंत्री जी के पास इस बारे में पूरे नाम नहीं आए हैं ।

श्री अध्यक्ष : वैसे इन्होंने जनरल पौलिसी के बारे में तो बता ही दिया है कि जहां जहां पर भी इतना नुकसान होगा वहां पर ये इतना इतना देंगे ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब इनके पास हर इलाके की पूरी इन्फर्मेशन आ जाए तो यह बता दें । मुझे लगता है कि भिवानी जिले के कई गांव इस में नहीं आ पाए हैं इसलिए जब इनके पास इस बारे में पूरी इन्फर्मेशन आ जाए तब ये बता दें । इसलिए आप इसको किसी और लेटर डेट को रख लें ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन अगर आप इन गांवों के अलावा और कोई गांवों के नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो वह मंत्री जी को दे दें ।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय बंसीलाल जी ने कहा कि पूरी डिटेल आने के बाद ही इस बारे में सदन में बात कही जाए। इनकी बात ठीक है लेकिन मैं इनको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे कोई बात सदन में कही जाए या इस बारे में बाहर काम किया जाए। जहां-जहां पर भी जितना जितना नुक्सान ओलावृष्टि से हुआ है हम वहां वहां पर किसी को भी राहत राशि देने के बगैर नहीं छोड़ेंगे। जितना भी नुक्सान सारी स्टेट में इनका हुआ है तो सरकारी नियमों के अनुसार सबको हर हालत में मुआवजा दिया जाएगा। इसके 11.00 बजे | साथ ही प्रो० छत्तर सिंह चौहान ने कहा कि जो 600 रुपये की राशि दी जा रही है यह कम है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह 600 रुपये की राशि भी आज की सरकार ने की है पहले तो 400 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता था। जिस किसान का 75 से 100 प्रतिशत ओलावृष्टि से नुक्सान है उसको 600 रुपये, 50 से 75 प्रतिशत नुक्सान है तो 450 रुपये देते हैं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : पिछले साल भी 600 रुपये बताया गया था।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : पिछले साल 400 रुपये था इस साल 600 रुपये किया गया है। प्रो० साहब आपने तो एक लाईन पकड़ी हुई है उसी पर चल रहे हैं और मुझे अफसोस है कि इस सदन में जितनी असत्यता के साथ आप बात करते हैं उतनी कोई नहीं करता।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जो शब्द कहे हैं वह बिल्कुल सत्य हैं मंत्री जी उनको निराधार बताने का कुप्रयास कर रहे हैं यह माननीय मंत्री को शोभा नहीं देता। ये सबको अपने जैसा समझते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ओला-वृष्टि के बारे मैंने जो कहा है ठीक कहा है। किसान का बेटा राजस्व मंत्री हो यह हमारे लिए फख्र की बात है पर आप 600 रुपये मुआवजा देकर किसान की वाह-वाही लूटना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्रो० साहब, आप अपनी बात कह चुके हैं, अब आप बैठ जाइए।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि प्रो० छत्तर सिंह जी बंसी लाल जी के साथ सीट पर बैठते हैं कम से कम इनको सीट पर बैठकर तो उनको लाइन पर रहना चाहिए, गलतबयानी नहीं करनी चाहिए।

चौधरी बंसी लाल : प्रो० छत्तर सिंह चौहान कभी गलत बात नहीं करता, यह मैं आपको बता दूं। उनको अपनी राय बताने का अधिकार है।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने किसान के घर जन्म लिया है और मेरे बचपन से खेती-बाड़ी का काम अपने हाथों

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

से जितना आनन्द सिंह डांगी ने किया है चौहान साहब उसके नजदीक भी नहीं गए होंगे । (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं इस सदन की इनफर्मेशन के लिए बता दूं कि एम0 एल0 ए0 होते हुए भी श्री0 छतर सिंह चौहान आज भी खेत में काम करते हैं ।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : ये पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन मैं इस सैशन में आने से पहले खेत में ईख बोकर आया हूं । 600 रुपये राहत वाली जो बात आई है उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकारें पहले भी आई हैं चौधरी बंसी लाल जी की सरकार भी रही है दूसरे लोगों की सरकार भी रही है उस समय 400 रुपये ही मिलते रहे । यह 600 रुपये की राहत आज की सरकार ही दे रही है । यह एक प्राकृतिक प्रकोप था । इतना जबरदस्त प्रकोप था कि किसी से रोके नहीं रुक सकता था । यह कह दें कि मोखरा-मदीना गांवों को पिछले गांव वालों ने डूबो दिया तो यह अच्छी बात नहीं लगती । पानी को रोका नहीं जा सकता था कोई भी रोक नहीं सकता था । जितनी तत्परता से जितनी जल्दी इस सरकार ने पानी को निकालने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए जो स्टैप्स उठाये वे एक रिकार्ड की बात है । जितनी जल्दी इस काम पर कन्ट्रोल किया गया वह आज तक नहीं हुआ है । हम वैसे ही पार्टी-बाजी की वजह से कभी या अपोजीशन की वजह से आपस में कुछ भी कहते रहें लेकिन आम आदमी आज यह मानता है कि सही ढंग से ठीक समय पर जैसी राहत दी जानी थी वह दी गई है । इसके साथ जो मुआवजे की बात कही है कि ठीक ढंग से मुआवजा नहीं बांटा । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह सर्वे करने वाले और मुआवजा बांटने वाले कोई भगवान तो हैं, नहीं, वे इन्सान ही हैं । 95 प्रतिशत मुआवजा ठीक हाथों में गया है । दो या पांच परसेंट तक मैं जानता हूं कि गड़बड़ हो सकती है । वह गड़बड़ मैं समझता हूं कि अधिकारियों के लेवल पर नहीं वह भी हमारी आपस की पार्टी बाजी या खींचतान की वजह से गड़बड़ हुई है । किसी ने पंच को वोट नहीं दिया, किसी ने सरपंच को वोट नहीं दिया, कोई एम0 एल0 ए0 के खिलाफ हो गया । इस तरह से आपस में कांटा-पीटी करने की वजह से ऐसे मामले बने हैं तो इस तरह की बात है । मैं कहूंगा कि सरकार ने ठीक ढंग से काम किया है । सरकार ने जो राहत का पैसा दिया है वह एक रिकार्ड की बात है । सबसे बड़ी बात तो यह है तीन हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा दिया गया है आज तक इस हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ । यह सारी फसल नष्ट ओलावृष्टि की वजह से नहीं हुई है यह तो एक प्राकृतिक प्रकोप की वजह से हुआ लेकिन सरकार ने जो कुछ किया, जो राहत तीन हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से दी तो तीन हजार रुपये की बचत किसान को साढ़ की फसल में नहीं होती । अगर हम एक किले की गेहूं की फसल की

उपज का हिसाब लगायें तो उसकी बचत तीन हजार रुपये नहीं बन सकती। लेकिन आज की सरकार ने तीन हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर किसान को पूरा सम्मान दिया है, पूरी इज्जत दी है और इसी ढंग से शहरों में छोटे दुकानदारों, रेहड़ी वालों और खोखे वालों, मोचियों और नाई जैसे हर छोटे वर्ग को सरकार ने मदद की है वह एक रिकार्ड की बात है। तो इन बातों से किसी तरह से गुमराह करके, तोड़ मरोड़ करके सदन में रखें, जनता के सामने रखें तो सदन को धोखा देने वाली बात होगी और उनको एक गलत राह पर डालने वाली बात है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटेन्शन मोशन में ओलावृष्टि के नुकसान के बारे में थी और मन्त्री महोदय ने बड़ा अच्छा किया कि इसमें फलैड के मुआवजे को शामिल कर लिया और इस बारे में सदन में और जानकारी मिल जायेगी मैं इस बारे में दो तीन सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि पिछले एक साल से कीमतें आसमान को छू रही हैं आप चाहें तो इन्टरनेशनल मार्केट को देखें जहां डालर का भाव 31 रुपये से बढकर 37 रुपये हो चुका है। रुपये का डीव्लूऐशन काफी हुआ है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कीमतें एक साल में बढी हैं उनको ध्यान में रखते हुए ओलावृष्टि के लिये जो 300/- रुपये, 450 रुपये और 600 रुपये मुआवजे के रूप में निर्धारित किए गए हैं क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर सकती है कि इस मुआवजे की रकम को जहां 600 रुपये हैं वहां एक हजार रुपये कर दिया जाए, जहां चार सौ पचास रुपये है वहां सात सौ रुपये कर दिया जाए और जहां तीन सौ रुपये है वहां पांच सौ रुपये कर दिया जाए। दूसरा इन्होंने फलड के दौरान रोहतक व भिवानी जिलों में मुआवजा बांटने के फिगर दिए हैं उसके मुताबिक 3101.84 लाख रुपये कुल मिलाकर रोहतक जिले को अलग अलग मदों पर दिए गये हैं। मैं उन से जानना चाहता हूं कि ये कांस्टीच्यूंसी वाईज कितना पैसा मिला है और इसके साथ मैं इनसे एक और बात कहना चाहूंगा कि किसान को जो फसल का मुआवजा दिया है उसमें किसान का कोई कसूर इस बात के लिये नहीं था। उसने गन्ने की फसल काश्त कर दी थी उसको उसका मुआवजा नहीं दिया गया। क्या उनको गन्ने की फसल का मुआवजा भी देने के लिये सरकार विचार कर रही है? इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जिस किसानों के खेतों में 30 नवम्बर 1995 तक पानी नहीं निकला था और दलदल था या पानी खड़ा था, उस बारे में क्या सरकार ने तीन हजार रुपये पर एकड़ का मुआवजा देने का फैसला भी ऐसे किसानों को देने का किया है? बहुत से ऐसे क्षेत्रों में फसल बार्बद हुई है उनको मुआवजे से वंचित कर दिया गया है। क्या इस बारे में सरकार कोई विचार करेगी?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : जो 600/- रुपये, 400/- रुपये, 1000/- रुपये करने वाली बात है इसके लिये राजस्व मंत्री अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते। यह पूरी सरकार का मसला है। आपकी बात सही है और मैं मानता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर सरकार को विचार कर लेना चाहिए और सभी को करना

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

चाहिये लेकिन 600/- रुपये 400-/रुपये इत्यादि करने वाली यह भी भजन लाल की सरकार और कांग्रेस की सरकार है।

वाक-आउट

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मैं भी कुछ पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : यह दो मैम्बरों का मोशन था तथा यह केवल वही पूछ सकते हैं और कोई नहीं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब इस मोशन में राम भजन जी का भी नाम था तो उनको भी थोड़ा सा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठिए।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, अगर आप हमें बोलने के लिये समय नहीं देते तो हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा विकास पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

मानव अंगों को निकालने, उनके भण्डारण तथा प्रतिरोपण संबंधी सरकारी संकल्प

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Resolution.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

"Whereas the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994.) to provide for the regulations of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the Central Government has appointed the Fourth day of February, 1995, as the date on which the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central

Act 42 of 1994) shall come into force in the State of Goa, Himachal Pradesh and Maharashtra and in all the Union Territories;

And whereas sub-section (2) and (3) of section 1 of the said Act provide that it shall come into force in any other State which adopts this Act by resolution passed in that behalf under clause (1) of article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the said Act so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matter connected therewith or incidental thereto, in the State of Haryana effectively;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of article 252 of the Constitution of India and sub-section (3) of section 1 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994, this House of the Legislaure of the State of Haryana hereby resolves to adopt the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994), so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively."

Mr. Speaker : Motion moved—

"Whereas the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994) to provide for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in huamn organs and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the Central Government has appointed the Fourth day of February, 1995, as the date on which the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994) shall come into force in the State of Goa, Himachal Pradesh and Maharashtra and in all the Union Territories;

And whereas sub-section (2) and (3) of section 1 of the said Act provide that it shall come into force in any other State which adopts this Act by resolution passed in that behalf under clause (1) of article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the said Act so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for the therapeutic purposes

[Mr. Speaker)

and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matter connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of article 252 of the Constitution of India and sub-section (3) of section 1 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994, this House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of the 1994), so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively."

Mr. Speaker : Question is—

"Whereas the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994) to provide for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the Central Government has appointed the Fourth day of February, 1995, as the date on which the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994) shall come into force in the State of Goa, Himachal Pradesh and Maharashtra and in all the Union Territories;

And whereas sub-section (2) and (3) of section 1 of the said Act provide that it shall come into force in any other State which adopts this Act by resolution passed in that behalf under clause (1) of article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the said Act so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matter connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of article 252 of the Constitution of India and sub-section (3) of section 1 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994, this House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves to adopt the Transplantation

of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994), so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively."

The motion was carried

बिल्ज—

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं0-1) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1996.

Sir, I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropiation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एण्ड पंजाब ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1996 and also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1996.

Sir, I also move—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment.) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question it—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Agricultural Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी तो एक आटोनोमस बाडी है और उसमें एक समझदार आदमी को वाईस चांसलर लगाया जाता है। यूनिवर्सिटी में स्टाफ वगैरह लगाने के जो उनके अधिकार हैं और दूसरी छोटी मोटी बातों के लिये जो उनके अधिकार हैं वह सरकार इस अमैंडमैंट के जरिए अपने हाथ में लेने जा रही है फिर यूनिवर्सिटी का आटोनोमस बाडी होने का क्या फायदा है। उसको विश्वविद्यालय कहने से एक कद्र की भावना आती है। उस यूनिवर्सिटी से स्नातक पैदा होते हैं जोकि अपने देश में नहीं रहते विदेशों में जा कर वह अपना नाम कमाते हैं। सरकार इस अमैंडमैंट के जरिए उस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर के जो छोटे मोटे अधिकार हैं उनको अपने हाथ में लेने जा रही है मेरी राय में यह ठीक नहीं है फिर यूनिवर्सिटी का आटोनोमस बाडी होने का क्या फायदा है। मेरी राय में सरकार को यह अमैंडमैंट वापिस लेनी चाहिये।

साथी लहरी सिंह (रादौर, एस0सी) : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश बने हुए 30 साल हो गए लेकिन फिर भी बिल्ज का जो नाम होता है उसके साथ पंजाब का नाम आता है। इस बारे में सरकार विचार करे और पंजाब की जगह हरियाणा का नाम बिल्ज के साथ लगाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1996 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Local Self Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Self Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्रीमती सन्तावती (लोहारू) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर एक मिनट बोलना चाहती हूं। मेरा कहना यह है कि जितने भी हरियाणा में कस्बे हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। उनकी सारी सड़कें टूटी हुई हैं। यह जो अमैंडमैंट आयी है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हमारे यहां पर जैसे झज्जर है, वहां पर जब दिल्ली की तरफ से आते हैं तो एक नाला है वह बरसाती नाला बारह महीने टूटा रहता है। इसी प्रकार से लोहारू बहल, डिगवा दादरी, रोहतक, अम्बाला या दूसरे शहर हैं उन सभी की सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनके रखरखाव की तरफ ध्यान देने के लिये म्यूनिसिपल कमेटीज को अधिक से अधिक धन दिया जाये ताकि वहां की सड़कें ठीक हो सकें। इसी के साथ साथ मैं यह भी चाहती हूं कि जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं उनका जो गन्दा पानी है उसको स्वच्छ रखने के लिये एक ट्रीटमैंट प्लांट हर कमेटी में लगाया जाना चाहिये ताकि उस गन्दे पानी से बीमारियां न फैलें। ओपन नल लगाने से ज्यादा गन्दगी फैलती है। इसलिये मैं चाहती हूं कि गन्दगी से बचने के लिये लोगों को पर्सनल कुनैक्शन पीने के पानी के दे देने चाहिएं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज हरियाणा (अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Minister for Health will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Health Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा मैकेनिकल व्हीकल्ज (लैवी आफ टोल्ज) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the P.W.D. Minister will introduce the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 15

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the P.W.D. Minister will move that the Bill be passed.

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) वि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1996 and will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1996.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment.) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Wednesday, the 6th March, 1996.

*11.36 hours | (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Wednesday, the 6th March, 1996.)

27585—H.V.S.—H.G.P., Chd.